न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 34/2018 (2018/00035)

अपीलान्ट्स

चुनाराम पुत्र पाबूराम, जाति भील, निवासी डाबला नगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आदेश दिनांक 23.01.2017 प्रकरण संख्या 54/2017 सरकार बनाम चुनाराम में तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापति (अपीलार्थी)।

-: आदेश :- दिनांक :- 26.05.2022

अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आदेश दिनांक 23.01.2017 प्रकरण संख्या 54/2017 सरकार बनाम चुनाराम में तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित किया गया के विरूद्ध पेष की है।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार बालेसर से प्राप्त किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट अभिभाषक की बहस दिनांक 10.05.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जगदीश प्रजापत ने अपनी बहस में बतलाया कि पटवारी हल्का ने तहसीलदार बालेसर के समक्ष रिपोर्ट पेश कर बतलाया कि अपीलार्थी ने ग्राम डाबला नगर के खसरा संख्या 152 किस्म गैर मुमकिन भाकर की रकबा 05 बिस्वा भूमि पर ढाणी बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर तहसीलदार बालेसर ने प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पट्टा पेश किया गया जिसके सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष निकाले बिना अपीलान्ट का पट्टा विलेख होते हुए भी [illegible] अतिक्रमी मनाकर बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि अपीलार्थी का जवाब व साक्ष्य पेश करने तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तारीख पेशी दिनांक 23.11.2017 के दिन अनुपस्थित बताकर आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि वादग्रस्त भूमि जिस पर अपीलार्थी की रहवासीय ढाणी बनी हुई है उसे नियमन किया जा सकता है या नहीं। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

हमने अपीलान्ट अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलान्ट ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में बतलाया कि अपीलार्थी को पटवारी हल्का द्वारा रहवासीय ढाणी से कब्जा हटाने के लिए कहा गया और कहा कि तुम्हारे खिलाफ बेदखली का आदेश हो चुका है तब अपीलार्थी द्वारा तहसील कार्यालय में जाकर आदेश की नकल दिनांक 01.05.2018 को ली गई तो सर्वप्रथम दिनांक 01.05.2018 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील में हुई देरी का अपीलार्थी के पास न्यायोचित कारण होने तथा प्रथ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर इस प्रकार किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पट्टा विलेख की प्रतिलिपि पेश की गई जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में कोई विवेचन नहीं की गई। अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तथा मौके पर उसकी रहवासीय ढाणी बनी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 54/2017 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बालेसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करके राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा, 1956 की धारा 91 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 26.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested